संख्या-131/2026/990/सैंतीस-2-2026-1(24)/2025-2009102

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2- निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-02 जून, 2026

विषयः-**अनुदान संख्या 15 के अधीन पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श/सदर/शताब्दी पशुचिकित्सालय काया-कल्प योजना (रा.यो.) के संचालन हेतु गाइडलाईन्स।**

महोदय,

अवगत हैं कि प्रदेश में कतिपय पशुचिकित्सालय अत्यधिक पुराने हैं। इन पशुचिकित्सालयों के माध्यम से पशुपालकों को अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध कराने में व्यवधान उत्पन्न होता है। अतएव प्रदेश के 100 वर्ष 50 वर्ष एवं 30 वर्ष से अधिक पुराने पशु चिकित्सालयों की भौतिक, तकनीकी एवं सेवा गुणवत्ता में सुधार किये जाने के उद्देश्य से अनुदान संख्या 15 के अधीन पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श/सदर/शताब्दी पशुचिकित्सालय काया-कल्प योजना (रा.यो.) संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी गाइडलाइन्स निम्नवत् हैः-

पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श/सदर/शताब्दी पशुचिकित्सालय काया-कल्प योजना (रा.यो.)

1. योजना की पृष्ठभूमिः-

प्रदेश के 100 वर्ष 50 वर्ष एवं 30 वर्ष से अधिक पुराने पशु चिकित्सालयों की भौतिक, तकनीकी एवं सेवा गुणवत्ता में सुधार किया जाना प्रस्तावित है, ताकि पशुपालकों को बेहतर एवं सुलभ पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस योजना में पुराने चिकित्सालयों के भवनों के पुनर्निर्माण, स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था, प्रतीक्षालय एवं ऑपरेशन थिएटर की स्थापना/उन्नयन जैसे आधारभूत सुधार शामिल हैं। साथ ही आधुनिक चिकित्सा पर्यास उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। भारत सरकार के पत्र संख्या-K-11/47/2024-LH-(E-277777), दिनांक-27 मार्च, 2026 द्वारा वेटनरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के न्यूनतम स्टैण्डर्ड की गाइडलाइन्स के अनुसार प्रदेश में अवस्थित पशु सेवा केन्द्र/"द" श्रेणी पशु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

औषधालय, राजकीय पशु चिकित्सालय, विकास खण्ड स्तरीय पशु चिकित्सालय, तहसील स्तरीय पशु चिकित्सालय, जिला स्तरीय पशु चिकित्सालय तथा पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की आधारभूत संरचानाओं तथा नवीनतम पशु चिकित्सा तकनीक के आधार पर सुदृढ़ीकरण एवं पशु चिकित्सा संस्थाओं का उच्चीकरण कराया जाना है।

2. योजना का उद्देश्यः-

योजना का उद्देश्य वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप 30 वर्ष से अधिक, 50 वर्ष से अधिक एवं 100 वर्ष से अधिक पुराने पशु चिकित्सालयों को भव्य एवं आधुनिक बनाते हुए पशु रोगों की सटीक एवं त्वरित जांच हेतु उन्नत उपकरणों, प्रयोगशाला सुविधाओं, शौचालय आदि से सुसज्जित करना, पशुपालकों को बेहतर पशुचिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। नये पशुचिकित्सालयों में परिवर्तित करने पर पशुचिकित्सालयों की कार्य क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे पशु स्वास्थ्य में अत्यन्त सुधार एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।

50 वर्षों एवं 100 वर्षों से अधिक पुराने पशुचिकित्सालयों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तृत रूप में स्थापित किया जायेगा, जिससे पशुपालकों को पशु उपचार एवं पशुपालन विभाग से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ प्रदान कराया जायेगा।

3. योजना का स्वरूपः-

इस योजना के कार्यान्वित होने से पशु चिकित्सालयों में स्वच्छ, सुरक्षित एवं आधुनिक वातावरण विकसित होगा, जिससे पशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार तथा पशुपालकों की संतुष्टि में वृद्धि होगी। राज्य के अनेक पुराने पशु चिकित्सालय वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित नहीं हो पाए हैं, जिससे पशुओं की सही समय पर जांच एवं उपचार की सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है। इन पशुचिकित्सालयों को उन्नत एवं आधुनिक बनाकर पशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना आवश्यक हो गया है। पं० दीनदयाल उपाध्याय शताब्दी/आदर्श/सदर पशु चिकित्सालय काया-कल्प योजना के अन्तर्गत पशुचिकित्सालयों के पुनर्निर्माण को उनकी उपयोगिता एवं कार्यक्षेत्र के अनुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

(क) पं०दी०द०उ० शताब्दी पशुचिकित्सालय (100 वर्ष पुराने पशु चिकित्सालय जनपद स्तरीय)

- भवन नवीनीकरण एवं विस्तार।
- अत्याधुनिक चिकित्सकीय एवं उपकरण (अल्ट्रासाउण्ड, एक्स-रे तथा अन्य उपयोगी पशुचिकित्सकीय उपकरण सामग्री)।
- फर्नीचर, आईटी एवं डिजिटल सुविधाएँ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- विद्युत, सोलर जलापूर्ति, स्वच्छता, वर्षा जल संचय (रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम) एवं अन्य सुविधाएँ।

(ख) पं०दी०द०उ० सदर पशुचिकित्सालय (50 वर्ष से अधिक पुराने पशु चिकित्सालय जनपद स्तर)

- भवन नवीनीकरण एवं विस्तार।
- अत्याधुनिक चिकित्सकीय एवं उपकरण (अल्ट्रासाउण्ड, एक्स-रे प्रेगन्नेसी डिटेक्शन किट तथा अन्य उपयोगी पशुचिकित्सकीय उपकरण सामग्री)।
- फर्नीचर, आईटी एवं डिजिटल सुविधाएँ।
- विद्युत, सोलर जलापूर्ति, स्वच्छता, वर्षा जल संचय (रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम) एवं अन्य सुविधाएँ।

(ग) पं०दी०द०उ० आदर्श पशुचिकित्सालय (30 से 50 वर्ष पुराने पशुचिकित्सालय विकास खण्ड/तहसील स्तर)

- भवन नवीनीकरण एवं विस्तार।
- आधुनिक चिकित्सकीय एवं उपकरण।
- फर्नीचर, आईटी एवं डिजिटल सुविधाएँ।
- विद्युत, सोलर, जलापूर्ति, स्वच्छता, वर्षा जल संचय (रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम) एवं अन्य सुविधाएँ।

4. वित्तीय एवं भौतिक विवरणः-

क्र0 सं०	विवरण	प्राविधानित बजट लाख में	भौतिक लक्ष्य
1	पशुचिकित्सालयों के भवन का निर्माण मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य	1719.00	प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप अत्याधुनिक पशुचिकित्सालय के भवनों का निर्माण।
2	पशुचिकित्सालयों के भवन निर्माण के उपरान्त पशुचिकित्सालय हेतु उपकरणों का कय एवं संचालन मानक मद 26-	1281.00	शताब्दी पशुचिकित्सालयों में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप उपकरण स्थापित किया जाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र।		

5. योजना का क्रियान्वयनः-

जनपदों की माँग के अधार पर पुराने पशु चिकित्सालयों के निर्माण हेतु नामित संस्था/संस्थाओं द्वारा ड्राईंग डिजाईन तैयार कर तद्समय निर्धारित मानकीकृत लागत के अनुरूप पशुचिकित्सालय के भवन का निर्माण नामित संस्था/संस्थाओं एवं विभाग के बीच अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों तथा अनुबन्ध के अनुरूप कराया जायेगा। तदोपरान्त अत्याधुनिक पशुचिकित्सकीय उपकरणों को पशुचिकित्सालय में स्थापित कर पशुचिकित्सकीय कार्य, पशु रोगों की त्वरित जाँच एवं पशुओं का उपचार किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रारंभिक सर्वेक्षण, प्राथमिकता निर्धारण के उपरान्त बजट स्वीकृति, कार्यों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

6. योजना का प्रभावः-

प्रदेश के जीर्ण-शीर्ण अवस्था में अवस्थित पशुचिकित्सालयों का विस्तारिकरण करते हुये उनको वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप स्थापित किया जाना जिससे अत्याधुनिक उपकरणों से त्वरित पशुओं की जाँच किये जाने तथा पशुपालकों को उच्च गुणवत्तायुक्त उपचार और बेहतर तरीके से प्रदान किया जाएगा। पुराने पशुचिकित्सालयों का उच्चीकरण किये जाने पर पशुचिकित्सालय में प्रतीक्षालय, ऑपरेशन थिएटर तथा पशु रोगों की जाँच हेतु अत्याधुनिक उपकरणों के उपयोग से पशु रोगों का रोकथाम ससमय किया जायेगा। योजना के संचालन से पशु स्वास्थ्य में सुधार होने से पशुपालकों के आय में वृद्धि होगी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार योजना का प्राथमिकता पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव।

पृ0सं0-131/2026/990(1)/सैंतीस-2-2026-1(24)/2025-2009102, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त/नियोजन/कृषि विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।